अध्याय I

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में दृष्टिकोण

लगातार मंद संवृद्धि और उसके बढ़ते प्रभाव के जोखिमों के साथ कमजोर पड़ती समष्टिआर्थिक परिस्थितियों के चलते 2012-13 में बैंकिंग क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्ष के दौरान कई नीतिगत उपाय किए गए। विनियामक और पर्यवेक्षी नीति स्तर पर, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की ओर परिकल्पना के अनुसार अग्रसर होना, बेहतर सीमापार पर्यवेक्षण और सहयोग तथा वित्तीय संगुटों का और अधिक पर्यवेक्षण महत्वपूर्ण है। अल्पावधि में, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर तनाव एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है। बैंकिंग की मूलभूत सुविधाओं में विस्तार करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए कई नीतियां विचाराधीन हैं। बैंकों को इनका लाभ उठाना चाहिए और आर्थिक गतिविधि में सहायता देने और समाज के सभी तबकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।

I. परिचय

1.1 2012-13 में वैश्विक संवृद्धि मंद बनी रही। देशी अर्थव्यवस्था में वृद्धि में कमी होने के साथ-साथ, प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों के कारण 2012-13 में भारत में बैंकिंग क्षेत्र में चुनौतियां उत्पन्न हुईं। आस्ति-क्षति में वृद्धि के साथ-साथ लाभप्रदता में कमी हुई। मैक्रो तनाव परीक्षण यह दिखलाते हैं कि यदि वर्तमान समष्टिआर्थिक परिस्थितियां बनी रहती हैं, तो वाणिज्य बैंकों की ऋण गुणवत्ता में और कमी हो सकती है[1]। तथापि, समग्र रूप से सहज पूंजी-आधार अभी भी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को आघातसहनीयता प्रदान करता है।

1.2 अध्याय II में वैश्विक बैंकिंग गतिविधियों का विवरण दिया गया है और भविष्य में बैंकिंग परिवेश को प्रभावित करने वाले कुछ कारण तथा नीतिगत प्रतिक्रियाओं और बैंकों के लिए भावी दिशा का भी उल्लेख किया गया है।

2. बैंकों के लिए उभरता परिचालनात्मक परिवेश

1.3 भारतीय बैंकिंग प्रणाली जिस आर्थिक और वित्तीय परिवेश में काम करती है, वह निरंतर परिवर्तनशील है। वैश्विक बैंकिंग गतिविधियों पर वाणिज्य बैंकिंग गतिविधियों को दायराबद्ध करने (रिंग-फेन्सिंग) के उद्देश्य से प्रस्तावित विनियामक परिवर्तनों का प्रभाव पड़ेगा। एफएसएलआरसी ने वित्तीय क्षेत्र की रूपरेखा के बारे में कई परिवर्तनों का सुझाव दिया है। रिजर्व बैंक ने 'बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया-द वे फार्वर्ड' पर एक चर्चा पत्र भी पब्लिक डोमेन में रखा है जिसमें बैंकिंग संरचना के बारे में दूरगामी परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है ताकि वह वास्तविक अर्थव्यवस्था की बढ़ती आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। जब इन सुझावों/सिफारिशों पर कार्यान्वयन के लिए विचार किया जाएगा, तो बैंकों के लिए परिचालनगत स्थान निर्धारित होगा।

संरचनात्मक विनियामक सुधारों के लिए वैश्विक उपाय करना : वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधियों को दायराबद्ध करना (रिंग फेन्सिंग)

1.4 कई क्षेत्राधिकारों ने प्रणालीगत जोखिमों का सामना करने के लिए बासेल III के अधीन संरचनात्मक उपायों सहित विवेकपूर्ण विनियमों को सुदृढ़ बनाया है या बनाने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों में बहुत जटिल तथा जोखिमपूर्ण कारोबारों को स्टैंड अलोन इकाइयों में परिवर्तित करने से लेकर इन गतिविधियों से बैंकों को पूरी तरह वंचित करना शामिल है। इसका उद्देश्य यह है कि वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण या उपभोक्ता/जमाकर्ता की रक्षा के आधार पर उन कुछ प्रकार की वित्तीय गतिविधियों को उन जोखिमों से अलग रखा जाए जो कुछ

[1] *वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट,* भारतीय रिजर्व बैंक, जून 2013

अधिक जोखिमपूर्ण लेकिन कम महत्वपूर्ण गतिविधियों के कारण होते हैं।

1.5 संरचनात्मक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल में अमेरिका में डोड-फ्रैंक अधिनियम के अधीन वोलकर नियम, यूनाइटेड किंग्डम में विकर्स सुधार प्रस्ताव और यूरोपीय संघ में लिकानेन सुधार प्रस्ताव शामिल हैं। इन तीनों प्रस्तावों की मुख्य-मुख्य बातों का उद्देश्य - एक ओर तो जमाराशि लेने तथा कोर बैंकिंग गतिविधियों के बीच दायराबद्ध करना या सुरक्षा दीवार बनाना है और दूसरी ओर निवेश बैंकिंग/स्वामित्व व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, वे थोड़ी भिन्नता वाले अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

- वोलकर नियम जमाराशि स्वीकार करने वाले बैंकों पर स्वामित्व, व्यापारिक तथा अन्य जटिल गतिविधियाँ करने पर प्रतिबंध लगाता है। यह एक ही समूह में विभिन्न सहायक संस्थाओं में ऐसी व्यापारिक गतिविधियों तथा अन्य बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ रहने पर प्रतिबंध लगाता है। इसी प्रकार, यह उन संस्थाओं में निवेश करने या उन्हें प्रायोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है जिससे उन्हें हेज़ फंड या निजी इक्विटी फंड जैसा जोखिम हो सकता है।
- विकर्स सुधार प्रस्ताव ने यूके के बड़े बैंकों के खुदरा बैंकिंग परिचालनों को दायराबद्ध करके उन्हें अलग-अलग विधिक सहायक संस्था बनाने की सिफारिश की है। खुदरा बैंकिंग कारोबार के कुछ बहुत ही सीमित काम जैसे कि खुदरा जमाराशि स्वीकार करना, अलग-अलग व्यक्तियों को ओवरड्राफ्ट तथा लघु और मध्यामाकार वाले उद्यमों को ऋणों को सुरक्षित, अर्थात् दायराबद्ध संस्था में, होना चाहिए। दूसरी प्रकार की गतिविधि, उदाहरण के लिए, खुदरा तथा कारपोरेट बैंकिंग, जिसमें उनकी सहायता के लिए जोखिम से सुरक्षा संबंधी अनुषंगी परिचालन शामिल हैं के कुछ अन्य प्रकार भी एक ही सुरक्षित संस्था में किए जाने चाहिए। सुरक्षित गतिविधियां एक ही समूह में, अलग-अलग सहायक संस्थाओं में, अन्य गतिविधियों के साथ-साथ की जा सकती हैं लेकिन वे अंतरसमूह प्रतिबंधों तथा अन्य जोखिम प्रबंधन शर्तों के अधीन होंगी (बॉक्स 1.1)
- लिकानिन रिपोर्ट के प्रस्तावों के अनुसार जमाराशि लेने वाले बैंक से एक सीमा से अधिक स्वामित्व वाली व्यापारिक तथा बाजार-निर्माण गतिविधियों तथा बाजार-निर्माण गतिविधियों को अलग किया जाए, लेकिन यदि ये अलग-अलग सहायक संस्थाओं में की जाती हैं, तो एक ही समूह में अन्य बैंकिंग कारोबार के साथ-साथ की जा सकती हैं। इन प्रस्तावों में एक ही समूह में परस्पर प्रभाव को इस प्रकार से सीमित रखा जाएगा कि सहायक संस्थाएं पूंजी और चलनिधि के संदर्भ में तथा बाजार की शर्तों पर विधिक संस्थाओं के बीच किए गए लेन-देन के संदर्भ में आत्मनिर्भर होंगी।

1.6 संरचनात्मक बैंकिंग सुधारों का सुझाव देने वाले देश वैश्विक वित्तीय केंद्र तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं। इन देशों में वित्तीय स्थिरता बढ़ाकर ऐसी नीतियों का वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली[2] पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है।

1.7 कार्यान्वित हो जाने पर ये सुधार बैंकों के 'प्रबंधतंत्रों' को अत्यधिक जोखिम लेने से रोकेंगे और अन्य गतिविधियों को प्रभावित करने वाले अन्य विशेष प्रवृत्ति के आघातों से महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं को सुरक्षित रखेंगे। इस बात को मानना महत्वपूर्ण है कि कहीं और हो रहे विनियामक परिवर्तनों को भारतीय बैंकों द्वारा भी भली-भांति समझा जाए क्योंकि उन्हें अपने वैश्विक प्रतिपक्षी बैंकों के साथ लेनदेन करना पड़ता है।

वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) ने वित्तीय क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की

1.8 भारत सरकार ने एक वृद्धिशील, वैश्विक और आधुनिक बनती अर्थव्यवस्था के अनुरूप वित्तीय क्षेत्र को अभिशासित करने वाले कानून बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार आयोग गठित किया। आयोग ने वित्तीय क्षेत्र की रूपरेखा में परिवर्तनों

[2] ''क्रिएटिंग अ सेफर फाईनेन्शिअल सिस्टमः विल द वोलकर, विकर्स एण्ड द लिकानन स्ट्रक्चरल मैजर्स हैल्प?'' स्टॉफ डिस्कशन नोट, इन्टरनैशनल मोनेटरी फंड, मई 2013

बॉक्स : I.1
भारतीय बैंकों (भारत में यूके के बैंकों सहित) के लिए विकर्स की सिफारिशों के संभाव्य निहितार्थ

सर जॉन विकर्स की अध्यक्षता में 'द इंडिपैंडैंट कमीशन आन बैंकिंग' (द कमीशन) का गठन यूके बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों और संबंधित गैर संरचनात्मक सुधारों पर विचार करने के लिए जून 2010 में गठित किया गया था ताकि वित्तीय स्थिरता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके। कमीशन की रिपोर्ट असफल होते बैंकों के समाधान को सहज और कम खर्चीला बनाने के लिए, बैंकों की हानि-सहने की क्षमता में सुधार लाने; अत्यधिक जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने; तथा यूके बैंकिंग प्रणाली में प्रतिकूल प्रभाव को फैलने से रोकने के लिए उपायों का पैकेज प्रस्तुत करती है।

यूके बैंकों को दायराबद्ध करना (रिंग-फेन्सिंग)

प्रस्ताव के अधीन, दायराबद्ध किए गए बैंकों को यूके में सीमित संख्या में ग्राहकों को केवल खुदरा तथा वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाएगी जिसमें अलग-अलग व्यक्ति तथा छोटे और मध्यमाकार उद्यम (एसएमई) शामिल होंगे। कमीशन ने तीन श्रेणियां बनाई हैं - मैंडेटिड, प्रोहिबिटिड तथा ऐन्सिलरी। यह निर्धारित करने के लिए कि किसी दायराबद्ध बैंक द्वारा सेवाएं दी जा सकती है या नहीं, इन दायराबद्ध संस्थाओं पर कुछ प्रतिबंध और नियंत्रण भी होंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे मार्क्ड टू मार्केट लेनदेनों के प्रति जोखिम नही लेते हैं और वे उसी समूह में अन्य संस्थाओं या किसी अन्य तृतीय पक्ष के साथ वाणिज्यिक तथा यथोचित दूरी बनाए रखते हुए संबंध बनाते हैं।

यूके बैंकों की हानि-सहने की क्षमता में सुधार तथा आंतरिक रूप से उबरने (बेल इन) के साधन

- यूके में बड़े दायराबद्ध बैंकों को जोखिम-भारित आस्तियों में इक्विटी का कम से कम 10 प्रतिशत अनुपात रखना होगा जिसे बढ़ा कर 13 प्रतिशत करने का प्रावधान होगा।
- यूके में अलग मुख्यालय वाले सभी बैंकों को कम से कम 3 प्रतिशत का टीयर - I लिवरेज अनुपात बनाए रखना होगा, जो बड़े दायराबद्ध बैंकों के लिए 4.06 प्रतिशत होगा।
- यूके में मुख्यालय वाले प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण और यूके के बड़े दायराबद्ध बैंकों के पास आरडब्ल्यूए के कम से कम 17 प्रतिशत की कोर इक्विटी और बेल-इन गौण ऋण होगा। तथापि, छोटे यूके बैंकों के लिए न्यूनतर अनुपात निर्धारित किया जाएगा।
- दिवालियापन में लेनदारों की प्राथमिकता संशोधित की जानी चाहिए ताकि यूके की फाईनेन्शिअल सर्विसेज कंपैनसेशन स्कीम के अधीन बैंकों में बीमाकृत जमाराशियों को तरजीही दर्जा मिले (फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स से ऊपर)

इन सिफारिशों के संभावित निहितार्थ

यूके में भारतीय बैंकों के परिचालन

यूके में भारतीय बैंकों का खुदरा आस्ति आकार इस समय विकर्स नियम लागू करने के लिए मैंडेटिड जमाराशियों के 25 बिलियन पौंड की 'न्यूनतम सीमा' से बहुत कम है। इस प्रकार, यूके में भारतीय बैंकों के लिए तुरंत दायराबद्ध करने के संबंध में विकर्स सिफारिशों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही, भारतीय बैंकों के कारोबारी मॉडल में कोई महत्वपूर्ण स्वामित्व व्यापार, निवेश बैंकिंग या हेज़ फंड में लेनदेन भी नहीं होते। तथापि, भविष्य में यूके में भारतीय बैंकों को अलग-अलग व्यक्तियों के संबंध में अपने खुदरा और वाणिज्यिक बैंकिंग परिचालन और एसएमई को निवेश बैंकिंग तथा थोक बैंकिंग गतिविधियों में अलग-अलग दायराबद्ध संस्थाओं में बदलना होगा। यह अनिवार्य/अनुमत दोनों क्षेत्रों में परिचालनों की मात्रा, अर्थात् अलग-अलग व्यक्तियों से जमाराशियों तथा उन्हें ऋण सेवाओं पर तथा प्रतिबंधित गतिविधियों जैसे कि निवेश बैंकिंग, डेरिवेटिव लेनदेन तथा स्वामित्व व्यापार में गतिविधि के स्तर पर निर्भर करेगा।

इसके अतिरिक्त जहां भी वांछित हो, परिचालनों को अलग-अलग करने में कारपोरेट संरचना, मूर्त आस्तियां, स्टाफ तथा श्रमशक्ति, पूंजी, निधीयन और चलनिधि व्यवस्थाओं के लिए अलग मूलभूत सुविधाएं बनाने और उधार देने के लिए स्थानीय बाजार से पर्याप्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता हो सकती है। पूंजी और उधार - दोनों की लागत बढ़ सकती है। इसके मौद्रिक, विधिक तथा लेखांकन संबंधी निहितार्थ भी हो सकते हैं।

भारत में यूके के बैंकों के परिचालन

जहां तक दायराबद्ध करने का संबंध है, यूके बैंकों के भारतीय परिचालनों के निहितार्थ मुख्यतया यूके में संबंधित मूल कंपनी/बैंक की कारपोरेट संरचना पर तथा उन परिवर्तनों और संशोधनों पर निर्भर करेंगे जो मूल कंपनी/बैंक दायराबद्ध करने की आवश्यकताओं के अधीन लाना चाहती है। भारतीय परिचालनों के निहितार्थ इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि भारतीय शाखाएं यूके में बैंकिंग संस्था की दायराबद्ध या गैर-दायराबद्ध संस्था का हिस्सा है या नहीं और कारोबारी स्थान परिवर्तन कैसे किया जाता है।

सामान्य रूप से, दायराबद्ध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनर्गठन प्रक्रिया जटिल हो सकती है तथा बैंकिंग समूहों के लिए उसकी प्रशासनिक लागत हो सकती है। दायराबद्ध बैंकों के ग्राहकों की सिफारिशों के निहितार्थ हो सकते हैं क्योंकि पुनर्गठन की लागत और उच्चतर हानि-सहने की पूंजी की आवश्यकताओं के कारण सेवा की लागत बढ सकती है।

का सुझाव दिया है। प्रस्तावों में उपभोक्ता संरक्षण, समाधान के लिए एक प्रतिबद्ध तथा एकीकृत प्राधिकरण, अंतर-विनियामक समन्वयन, विकासीय कार्य और जवाबदेही सहित विनियामकों/केंद्रीय बैंक को स्वतंत्रता प्रदान करना शामिल है। आयोग ने एक ऐसे विनियामक फ्रेमवर्क की कल्पना की है जहां विनियमित संस्थाओं के लिए अभिशासन मानदंड वित्तीय फर्म के संगठन के

रूप, जैसे कि, सहकारी संस्थाएं, निजी भारतीय फर्में, विदेशी फर्में तथा सरकारी क्षेत्र की फर्मों पर निर्भर नहीं करेंगे। जब ये सिफारिशें स्वीकार कर ली जाएंगी और कार्यान्वित कर दी जाएंगी तो बैंकिंग प्रणाली को इनमें से कुछ सिफारिशों के लिए तैयार रहना होगा।

भारत के लिए गतिशील तथा उदीयमान बैंकिंग संरचना पर चर्चा

1.9 चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर परिवर्तित हो रही है, उसका विस्तार हो रहा है और उसका विविधीकरण हो रहा है, इसलिए विविध प्रकार की ऋण तथा बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके आकार, क्षमता, योग्यता के संदर्भ में वर्तमान बैंकिंग संरचना की समीक्षा करने का समय आ गया है। वर्तमान बैंकिंग संरचना की समीक्षा करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2013-14 में यह घोषणा की गई थी कि रिज़र्व बैंक भारत में वर्तमान बैंकिंग संरचना की समीक्षा करेगा और अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति 1998 (अध्यक्षः श्री एम. नरसिंहम), वित्तीय क्षेत्र सुधार, समिति 2009 (अध्यक्षः श्री रघुराम राजन) की सिफारिशों तथा कुछ अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए एक नीतिगत चर्चा पत्र तैयार करेगा। एक नई सार्वजनिक बहस के लिए यह चर्चा पत्र अब जारी कर दिया गया है (बॉक्स I.2)

3. नीतिगत प्रतिक्रियाएं

1.10 बैंकिंग प्रणाली पर विभिन्न उभरते अंतरराष्ट्रीय और देशी कारकों के निहितार्थों को देखते हुए, वर्ष के दौरान विनियामक और पर्यवेक्षी नीतिगत प्रतिक्रियाओं का संबंध समावेशी वृद्धि प्राप्त करने के लिए बैंकों को तैयार करने के अलावा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण को कार्यान्वित करने वित्तीय संगुटों का और अधिक पर्यवेक्षण करने और विनियामकों के बीच बेहतर समन्वयन से था। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग प्रणाली में विस्तार, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, भुगतान और निपटान कार्यविधि को और अधिक मजबूत करने तथा पूंजी को सुदृढ़ करने के लिए कई सकारात्मक उपाय किए गए।

पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया की कुशलता को बढ़ाने के लिए जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण की ओर बढ़ना

1.11 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के विभिन्न प्रावधानों के अधीन रिज़र्व बैंक को भारतीय बैंकिंग प्रणाली के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व दिया गया है। हालांकि पिछले दो दशकों में बैंकिंग परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, लेकिन सीएएमईएलएस[3] फ्रेमवर्क पर आधारित रिज़र्व बैंक के भीतर पर्यवेक्षी संसाधनों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पर्यवेक्षी उत्तरदायित्वों तथा उपलब्ध संसाधनों के बीच एक विसंगति पैदा हो गई है जिसके कारण बैंक पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और संगठनात्मक ढांचे का युक्तिकरण करना आवश्यक हो गया है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, अब तक के सीएएमईएलएस से परे हटकर जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण की ओर झुकाव देखने में आया है। सीएएमईएलएस मुख्यतया एक स्कोरकार्ड पर आधारित दृष्टिकोण है जो एक प्रतीगामी कार्यविधि है और समय अंतराल के बाद लेनदेन की जांच करने वाला मॉडल है। दूसरी ओर, जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण एक अग्रगामी दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें बैंकों में जोखिम-निर्माण का आकलन किया जाता है। यह जोखिम के आधार पर कुछ अधिक कुशल आबंटन के द्वारा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण पर्यवेक्षी संसाधनों को भी बचाता है।

1.12 उच्च-स्तरीय संचालन समिति के सुझावों के आधार पर सिद्धांतों और दृष्टिकोण के आधार पर और भारतीय बैंकिंग प्रणाली की विशिष्टता को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के अधीन पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया है। चरण I के एक भाग के रूप में, 2013-14 से 29 बैंक जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के अधीन आ गए हैं जिनके पास भारतीय

[3] कैपिटल ऐडिक्वेसी, ऐसेट क्वालिटी, मैनेजमैंट, अर्निंग्स, लिक्विडिटी तथा सिस्टम्स एण्ड कंट्रोल (सीएएमईएलएस)

बॉक्स : I.2
भारत में बैंकिंग संरचना - भावी दिशा

यह माना जाता है कि भारत की वर्तमान बैंकिंग संरचना काफी व्यापक है और अर्थव्यवस्था की ऋण और बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करती रही है। तथापि, 1991 से, भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार और संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आर्थिक संरचना में काफी विविधता आई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने के लिए अर्थव्यवस्था खुल रही है। यदि वास्तविक अर्थव्यवस्था गतिशील है तो बैंकिंग प्रणाली को बदलते परिवेश में लचीला और प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से, विभिन्न उद्देश्यों तथा अर्थव्यवस्थाओं की विभिन्न संरचना की मांग पूरी करने के लिए वर्तमान बैंकिंग संरचना के आकार और शक्तियों में विस्तार की आवश्यकता और गुंजाइश है।

वर्तमान बैंकिंग संरचना को और अधिक गतिशील बैंकिंग संरचना में परिवर्तित करने की बात उठने के बहुत से कारण हैं। यह महसूस किया गया है कि बैंकिंग संरचना का आकार और क्षमता बढ़ाने के लिए संभावना है। बैंकिंग संरचना की आउटरीच को बढ़ाने की भी अत्यावश्यकता है। अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने के साथ बैंकों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने में कई कमियां हैं। इन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। वृद्धिशील और गतिशील अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी विशिष्टताप्राप्त और नई बैंकिंग संस्थाओं की भी आवश्यकता है। एक ऐसे गतिशील बैंकिंग संरचना की ओर अग्रसर होने के उद्देश्य से, जो इन बहुविध कार्यों को कर सके, चर्चा पत्र ने सुझाव दिए हैं:

- प्रणाली में प्रतियोगिता बढ़ाने, नए विचारों तथा विविधता लाने के लिए ब्लॉक लायसेंसिंग के स्थान पर 'मांग के अनुसार प्राप्य' (ऑन टैप) लायसेंसिंग दृष्टिकोण अपनाना।
- बड़े बैंकों के हानिकारक प्रभावों से निपटने के लिए प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण देशी बैंक ढांचा तैयार करना।
- देशी बैंकिंग क्षेत्र में प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए तथा जटिल संरचनाओं से बचने के लिए बड़े सरकारी और निजी बैंकों को समेकित करके (स्वेच्छा के आधार पर) तीन या चार वैश्विक स्वरूप वाले बैंकों की स्थापना करना।
- विभेदीकृत लायसेंसिंग के माध्यम से विशेषीकृत बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों को उच्च सेगमेंट की अनुमति प्रदान करना।
- निवेश बैंकों/निवेश बैंकिंग गतिविविधियों को प्रोत्साहित करना।
- बैंक रहित और बैंकों की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों तक पहुंचने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पाने के लिए स्तरबद्ध संरचना के निचले स्तर के छोटे बैंक उचित उपाय हो सकते हैं।
- प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए अधिक तीव्रता के साथ विनियामक और पर्यवेक्षी शासन पद्धति को मजबूत बनाना।
- स्तर-आधारित परिकल्पित संरचना को सहायता प्रदान करने के लिए ऋण बीमा और समाधान की दक्ष प्रणाली को प्रारंभ करना।
- आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों अथवा स्थानीय/छोटे बैंकों को वाणिज्य बैंकों में परिवर्तित करना।
- प्रतिस्पर्धा और वित्तीय स्थिरता के लिए उनके अनुषंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी बैंकों की संख्या में वृद्धि करना।
- बैंकिंग संरचना के आकार और क्षमता का विस्तार करना जिससे अनेक प्रकार के ग्राहकों द्वारा ऋण और विभिन्न सेवाओं की विविध मांगों से निपटने में बैंकिंग प्रणाली की योग्यता का विस्तार हो।

चर्चा पत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और प्रणाली में नए विचार और विविधता लाने के लिए ब्लाक लाइसेंसिंग दृष्टिकोण के बजाय आन टैप लाइसेंसिंग, बड़े बैंकों की नकारात्मक बाह्यताओं का सामना करने के लिए देशी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक फ्रेमवर्क कार्यान्वित करने का सुझाव दिया गया है।

बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों का लगभग 66 प्रतिशत भाग है। बैंकों को पर्यवेक्षकों द्वारा बैंकों से जोखिम लेने, बाजार से संबद्ध और कुशल अंतरण मूल्य कार्यविधि, प्रभावशाली कारोबार लाइन मैपिंग, जोखिम-आधारित मूल्यन और जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मूलभूत सुविधाओं जैसी न्यूनतम अपेक्षाओं के बारे में भी सूचित किया गया है। इस संदर्भ में, बैंकों को जोखिम आधारित पर्यवेक्षण सहजता से अपनाने के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी करनी चाहिए।

बेहतर सीमापारीय पर्यवेक्षण और सहयोग के लिए नीतिगत पहल

1.13 भारतीय बैंकों के सीमापारीय परिचालन तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए, सहमति ज्ञापन के जरिए ''होम'' तथा ''होस्ट'' के बीच संबंध को औपचारिक करना रिज़र्व बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल बन गया है। इस संदर्भ में, रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षी सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए विदेशी विनियामकों के सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

1.14 रिज़र्व बैंक ने 16 विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ सहमति ज्ञापन निष्पादित किए हैं। इसके अतिरिक्त, 28 अन्य विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ प्रस्ताव सहमति ज्ञापन के पारस्परिक रूप से सहमत फार्मेट के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज[4] स्थापित किए हैं। आशा है कि ये कॉलेज समेकित पर्यवेक्षण के प्रमुख साधन के रूप में, विशेषकर विदेशों में भारतीय बैंकों के बढ़ते पदचिह्नों को देखते हुए, सामने आएंगे

वित्तीय संगुटों का पर्यवेक्षण बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

1.15 एफएसडीसी को दिया गया एक अधिदेश - अर्थव्यवस्था का स्थूल-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण करना है जिसमें बड़े वित्तीय संगुटों का कामकाज भी शामिल है। इस संदर्भ में, वित्तीय संगुटों के पर्यवेक्षण और अंतर-विनियामक फोरम (आईआरएफ) निगरानी के लिए 'लीड रैग्युलेटर' सिद्धांत की भांति एक संस्थागत ढांचा स्थापित किया गया है।

1.16 पहचाने गए वित्तीय संगुटों के समेकित पर्यवेक्षण के लिए आवधिक समन्वयन के लिए एक संस्थागत कार्यविधि की स्थापना के लिए, एफएसडीसी की उप-समिति के तत्वावधान में डेटा/सूचना शेयर करने और अन्य सहयोग-व्यवस्थाएं जैसे कि समन्वित निरीक्षण और वसूली तथा समाधान की योजना की व्यवस्थाओं को औपचारिक रूप देने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए तथा पीएफआरडीए द्वारा हस्ताक्षर किए गए। वित्तीय संगुटों की पहचान करने के मानदंडों और 2012 के लिए उनके वित्तीय संकेतकों के आधार पर, आईआरएफ ने निगरानी के लिए 12 वित्तीय संगुटों की पहचान की है जिसमें प्रत्येक की बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार, पेंशन फंड तथा गैर-बैंकिंग वित्त क्षेत्रों में दो या अधिक बाजार खंडों में उल्लेखनीय उपस्थिति है। चिह्नित 12 वित्तीय संगुटों में से पांच वित्तीय संगुटों के लिए रिज़र्व बैंक प्रमुख विनियामक है। चार का विनियामक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) है तथा 3 वित्तीय संगुटों का विनियामक सेबी है।

वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए सुनियोजित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण

1.17 रिज़र्व बैंक कई प्रकार की रणनीतियां अपना कर वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाता रहा है जिसमें ग्राह्य और मापनीय वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए नए उत्पाद तथा अन्य सहायक उपाय शामिल हैं। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए एक बैंक - अग्रणी (बैंक-लेड) मॉडल अपनाया है जिसमें प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर दिया जाएगा। वित्तीय समावेशन के अधीन एक सुनियोजित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाया गया जिसमें सभी बैंकों को तीन वर्ष की अवधि के लिए (2010-2013) अपनी कारोबारी रणनीतियों और तुलनात्मक लाभ के अनुरूप अपने बोर्ड से अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजनाएं बनाने के लिए कहा गया। इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर रिज़र्व बैंक द्वारा सूक्ष्म निगरानी रखी गई। वित्तीय समावेशन को यूनिवर्सल एफआई के स्तर पर लाने के लिए, जिसमें सभी पात्र व्यक्तियों के पास लेनदेन वाले खाते होंगे, बैंकों को 2013-16 के लिए वित्तीय समावेशन योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया, जो अब बैंकों द्वारा प्रस्तुत कर दी गई हैं। बैंकों को सूचित किया गया है कि उनके द्वारा तैयार की गई वित्तीय समावेशन योजनाओं को अलग-अलग कर लिया जाए और शाखा स्तर तक लाया जाए ताकि एफआई प्रावधानों में स्थानीय स्तर के अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके और वित्तीय समावेशन योजना के अधीन रिपोर्टिंग संरचना में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नए बैंक लाइसेंस जारी करना

1.18 एक गतिशील वास्तविक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग प्रणाली के विकास की जरूरत होती है। बैंकों की संख्या बढ़ाने से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उससे लागत कम होगी और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 'निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस' देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उसे निजी क्षेत्र में नए बैंक लाइसेंसों के लिए

[4] ''पर्यवेक्षी कॉलेज'' का अभिप्राय उन संबंधित पर्यवेक्षकों से है जो किसी अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह के निरंतर आधार पर प्रभावी समेकित पर्यवेक्षण को बढ़ाने के सम्मिलित प्रयोजन के लिए गठित किए जाते हैं।

26 आवेदन प्राप्त हुए हैं। रिज़र्व बैंक पारदर्शिता और सावधानी के सर्वोच्च मानकों के अनुरूप शीघ्र ही नए बैंक लाइसेंस जारी करेगा।

एक सुनियोजित और कुशल भुगतान और निपटान प्रणाली की रूपरेखा

1.19 रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणालियों में सुधार के लिए व्यापक नीतियां तैयार करता है। इस संदर्भ में, 1 अक्तूबर 2012 को जारी 'भारत में भुगतान प्रणालियां-विज़न 2012-15' नामक विजन दस्तावेज में देश के लिए अगले तीन वर्ष में सुरक्षित, कुशल, उपलब्ध, समावेशी, परस्पर-परिचालनीय तथा प्राधिकृत भुगतान और निपटान प्रणालियाँ उपलब्ध कराने के लिए रणनीति की रूपरेखा दी गई है (बॉक्स I.3)

पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूंजी प्रदान करना

1.20 भारत में बासेल III पूंजी विनियमन चरणबद्ध रूप में 1 अप्रैल 2013 से कार्यान्वित किया गया और 31 मार्च 2018 को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाएगा। ये मानदंड पूंजी आधार की गुणवत्ता, समरूपता और पारदर्शिता पर अधिक ध्यान और महत्व देते हैं। रिज़र्व बैंक ने मार्च 2018 तक देशी बैंकों के लिए पूरे बासेल III कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है। ये अनुमान मोटे तौर पर दो धारणाओं पर आधारित हैं:

(i) जोखिम आधारित आस्तियों में प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि; और

(ii) जोखिम आधारित आस्तियों का 1 प्रतिशत आंतरिक उपचय।

1.21 अनुमानों से पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ₹4.15 ट्रिलियन की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी जिसमें से इक्विटी पूंजी ₹1.4-1.5 ट्रिलियन होगी, जबकि गैर-इक्विटी पूंजी ₹2.65-2.75 ट्रिलियन होगी। एक प्रमुख हिस्सेदार होने के नाते, सरकार इन बैंकों को पूंजी प्रदान करती रही है। पिछले पांच वर्ष में, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ₹477 बिलियन की राशि प्रदान की है। 2013-14 के दौरान सरकार सरकारी क्षेत्र के बेंकों को ₹140 बिलियन की पूंजी प्रदान करेगी। इन बैंकों में सरकार की वर्तमान शेयरधारिता 55 प्रतिशत से 82 प्रतिशत के बीच है। इस प्रकार, सरकारी क्षेत्र के कई बैंकों में सरकार अपना हिस्सा कम कर सकने की स्थिति में है।

बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता

1.22 2012-13 के दौरान सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए एनपीए अनुपात, (विशेषकर गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के लिए) कमजोर हुए। हालांकि आस्तियों की गिरती गुणवत्ता का प्रमुख कारण देशी आर्थिक मंदी होना था, लेकिन सांविधिक अनुमोदन तथा अन्य अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब तथा बैंकों द्वारा ऋण मूल्यांकन/निगरानी में शिथिलता भी काफी महत्वपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में ऋण का संकेन्द्रण तथा कंपनियों के बीच उच्चतर लीवरेज ने भी आस्ति गुणवत्ता पर दबाव बढ़ा दिया। हाल ही के वर्षों में कंपनी ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया के अधीन भी पुनर्गठित ऋण की राशि में तीव्र वृद्धि हुई है। आने वाले समय में बैंकों की पहले ही से दबाव गस्त आस्ति गुणवत्ता पर इसका असर पड़ेगा।

1.23 बैंकों की ऋण निगरानी प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने उन्हें सूचित किया कि वे संकट के संकेतों की समय रहते पहचान करने के लिए एक मजबूत कार्यविधि स्थापित करें और इन चेतावनी संकेतों का प्रयोग एक प्रभावकारी निवारक आस्ति गुणवत्ता प्रबंध फ्रेमवर्क बनाने के लिए करें। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया है कि उधारदाताओं के बीच सूचना शेयर करने की कार्यविधि को मजबूत करें। ऐसा ऋण मंजूर करने से पहले बैंकों के लिए उधार लेने वालों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना/शेयर करना अनिवार्य बनाया जाएगा। यह आशा है कि यदि जीडीपी संवृद्धि दर में वृद्धि के साथ-साथ सरकार की मंशा/प्रयत्नों के कारण तथा बैंकों के वसूली प्रयत्नों के कारण प्रोजेक्ट कार्यान्वयन में सुधार होकर स्थिति में सुधार आ सकता है।

4. भावी दिशा

1.24 आगामी वर्षों में यह आशा है कि बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक साधनों में एक और बड़ी भूमिका निभाएंगे। इस संदर्भ में कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नानुसार हैं:

एनपीए में प्रभावी कमी और ऋण वसूली प्रक्रिया में सुधार

1.25 बैंकों की आस्ति गुणवता उनकी वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, यह उनके ऋण जोखिम प्रबंधन और वसूली

बॉक्स I.3 :
भुगतान और निपटान प्रणालियों के संबंध में विज़न डाक्यूमैंट 2012-15 की मुख्य-मुख्य बातें

हाल ही के वर्षों में इलैक्ट्रॉनिक भुगतानों की वृद्धि उल्लेखनीय रही है। तथापि, आधुनिक भुगतान प्रणालियों के लाभ समाज के सभी वर्गों के बीच और देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच समान रूप से वितरित नहीं हैं। भुगतान के अनेक इलैक्ट्रॉनिक तरीके उपलब्ध होने के बावजूद, देश के बहुत बड़े हिस्से में नकदी को अभी भी वरीयता दी जाती है और यह सबसे प्रमुख तरीका है। इस पृष्ठभूमि में, विज़न डाक्यूमैंट 2012-2015 का उद्देश्य है कम नकदी/कम कागज वाला समाज हो, जिसमें इलैक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों तथा सेवाओं पर अधिक बल दिया जाए, विशेषकर उन लोगों द्वारा जो इन उत्पादों का उपयोग नहीं करते। कम नकदी और समावेशन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक मजबूत भुगतान प्रणाली का होना आवश्यक है। इसलिए ''वर्तमान उद्देश्य के लिए उचित'' को बदल कर ''भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार'' भुगतान प्रणाली एवं मूलभूत सुविधा तैयार की जानी होंगी।

विज़न डाक्यूमैंट में निम्नलिखित उपायों के द्वारा भुगतान के इलैक्ट्रॉनिक साधनों और समाज द्वारा नकदी के उपयोग को कम करने का प्रस्ताव है:

(i) सक्रिय रूप से इलैक्ट्रॉनिक भुगतानों को बढ़ाना,

(ii) ऐसे नीतिगत दिशानिर्देश विकसित करना जो साम्यिक, एकसमान तथा जोखिम-आधारित हों,

(iii) प्रणालियों और मानव संसाधनों और *गीरो* भुगतानों के माध्यम से मानकीकरण और क्षमता निर्माण से भुगतानों की कुशलता बढ़ाना,

(iv) मानक स्थापित करने के लिए एक निकाय बनाना,

(v) हिस्सेदारों के साथ निरंतर बातचीत करके भुगतान प्रणालियों के जोखिमों पर कार्रवाई करना और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना,

(vi) भुगतान प्रणाली साक्षरता संबंधी पहल करके पहुंच तथा समावेशन को बढ़ाना,

(vii) सरकारी भुगतानों और प्राप्तियों को इलैक्ट्रॉनिक साधन से करने के लिए सुविधाजनक बनाना,

(viii) पूर्वप्रदत्त लिखतों, इलैक्ट्रॉनिक बैनिफिट ट्रांस्फर, उपदानों के प्रत्यक्ष अंतरण और ई-कामर्स को बढ़ाना,

(ix) ऑफ-साइट निगरानी के माध्यम से भुगतान प्रणालियों के सहज परिचालन सुनिश्चित करना, खुदरा भुगतानों का आवश्यकता पर आधारित निरीक्षण करना और वित्तीय बाजार मूलभूत सुविधाओं (एफएमआई) का वार्षिक निरीक्षण करना तथा

(x) नए अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

विज़न वक्तव्य में एक आधुनिक भुगतान तथा निपटान प्रणाली के लाभ सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें नवोन्मेषी उत्पाद, वर्तमान में लक्ष्यबद्ध समूहों से अधिक लोगों तक पहुंचना ताकि बेहतर वित्तीय समावेशन प्राप्त किया जा सके। एक ऐसी भुगतान प्रणाली तैयार करके इसे प्राप्त किया जा सकता है जो देश की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करती हो।

परिवेश के प्रभाव को भी दिखलाता है। वर्ष के दौरान बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट हुई और बैंकिंग प्रणाली की कुल दबावयुक्त आस्तियों में वृद्धि हुई (अर्थात् एनपीए+पुनर्गठित आस्तियां)। बैंकों को न केवल रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा खराब ऋणों के समाधान और वसूली के लिए किए गए विभिन्न उपायों को अपनाना है बल्कि अपनी सतर्कता, ऋण मूल्यांकन और ऋण मंजूरी के बाद की निगरानी प्रणालियों को भी सुदृढ़ करना है ताकि बढ़ते एनपीए को न्यूनतम रखने और उन्हें कम करने का काम किया जा सके। वसूली प्रणाली के प्रभाव में सुधार लाने की आवश्यकता है। वसूली का ध्यान कुशलता और निष्पक्षता पर होना चाहिए। अनर्थक्षम आस्तियों को नए उपयोगों के लिए नियोजित करते समय और कर्मचारियों को ठीक प्रकार से मुआवज़ा देते समय भी अन्तर्निहित आस्तियों और नौकरियों को जहां संभव हो बचाते हुए ऐसा किया जाना चाहिए लेकिन संविदागत प्राथमिकताओं को भी पूरा किया जाना चाहिए। इस संबंध में, ऋण वसूली प्राधिकरणों और आस्ति पुनर्गठन कंपनियों के काम को तेजी से आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। ऋण संबंधी आकड़ों को इकट्ठा करने और बैंकों के बडे साझे ऐक्सपोजर की जांच करने की आवश्यकता है। इससे बड़े ऋणों के संबंध में एक केंद्रीय निक्षेपागार बनेगा, जिसे बैंक साझा कर सकते हैं। बदले में इससे बैंक लीवरेज और साझे एक्सपोजर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह वित्तीय फर्मों के लिए एक उन्नत समाधान ढांचे की स्थापना करने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। यदि भविष्य की ओर देखें तो रिज़र्व बैंक इन मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देगा।

समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए बैंकों की भूमिका पर फिर से बल

1.26 निर्धन, ग्रामीण, छोटे तथा मध्यमाकार उद्योगों तथा छोटे और सीमांत व्यापारियों के लिए वित्त तक पहुंच अभी भी कठिन

है। बैंकों को एक त्वरित, व्यापक आधार वाली और समावेशी वृद्धि के लिए और अधिक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए जिससे गरीबी में तेजी से कमी आए। बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजनाओं के प्रारंभ होने के बाद से वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति का आकलन दिखलाता है कि हालांकि खोले गए खातों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है लेकिन प्रति खाता या प्रति कारोबारी-प्रतिनिधि लेनदेनों की वास्तविक संख्या लगातार निम्न बनी हुई है। लेनदेनों के निम्न स्तर मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों की अपर्याप्ताएं दिखलाते हैं। इस संदर्भ में, यह आशा है कि वित्तीय साक्षरता प्रयास जागरूकता बढ़ा कर वित्तीय प्रणाली तक पहुंच में वृद्धि करेंगे। बैंकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि लेनदेन तभी होंगे जब खाताधारकों का खाते में हित होगा और वह तभी होगा जब उद्यमी ऋण जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड/सामान्य क्रेडिट कार्ड, उपभोग आवश्यकताओं के लिए ओवरड्रॉफ्ट, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और अन्य विप्रेषण सुविधाओं जैसी बैंकिंग सेवाए उपलब्ध कराई जाएं। ये तथा अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कारोबार तथा अन्य डिलीवरी मॉडल तैयार किए जाने चाहिए और कार्यान्वित किए जाने चाहिए।

1.27 वित्तीय समावेशन के प्रयासों में प्रौद्योगिकी एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर सकती है। तथापि यह अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है कि केवल प्रौद्योगिकी पर आधारित नान फेस टू फेस चैनल एक समावेशी वित्तीय प्रणाली का निर्माण करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जहां भी संभव और अर्थक्षम हो वहां कारोबारी प्रतिनिधियों के लिए प्रक्रिया को नियंत्रित करने और जनसंख्या के वित्तीय रूप से वंचित लोगों का विश्वास और स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए बैंकों को डिलीवरी केंद्रों के रूप में अधिकाधिक पक्के आउटलेट खोलने पर विचार करना चाहिए।

बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और विकसित करने की आवश्यकता

1.28 वित्तीय सुधारों का एक प्रमुख उद्देश्य था - बैंकों को और अधिक परिचालनगत स्वतंत्रता प्रदान करके बेहतर कुशलता को बढ़ाना। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को बैंक शाखाओं को खोलने की अनुमति दे दी। नई शाखाएं खोलने का काम सभी अनुसूचित देशी वाणिज्य बैंकों के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन जिनका भलीभांति प्रबंध नहीं किया जा रहा, वे इसका अपवाद होंगे। निस्संदेह, ऐसी स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय बैंकों को शहरी क्षेत्रों में अपने विस्तार के अनुपात में कम शाखाओं वाले क्षेत्र में कुल समावेशन मानदंड का पालन करना होगा।

बैंकों के संसाधनों के पूर्वाधिकार (प्रीएम्पशन) को कम करने की निरंतर आवश्यकता

1.29 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार रिज़र्व बैंक के लिए एक अधिदेश अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रवाह सुनिश्चित कराना है। इस संदर्भ में, बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की आवश्यकता को योजनाबद्ध तरीके से कम करके केवल यह विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से आवश्यक सीमा तक कम की जानी चाहिए। यह माना जाता है कि ऐसी कमी करने से सरकार के वित्त में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, जैसे-जैसे पेंशन फंड तथा बीमा कंपनियों जैसी अन्य वित्तीय संस्थाओं की पहुँच बढ़ती जाएगी, वाणिज्य बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की आवश्यकता कम हो जाएगी।

कुशलता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का सघन प्रयोग

1.30 जनता की सुरक्षित निवेश साधनों तक बेहतर पहुंच होनी चाहिए, निधियों के अंतरण की सुविधा होनी चाहिए, खर्चीले मध्यस्थों के हस्तक्षेप के बिना सरकार से प्रत्यक्ष लाभ मिलने चाहिए और अर्थक्षम निवेश अवसरों के निधीयन की सुविधा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उपभोग आवश्यकताओं के लिए या संकटकालीन परिस्थितियों के लिए ऋण भी वांछनीय है, विशेषकर निम्न आय परिवारों के लिए। नीतिगत प्रयासों के द्वारा इन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनानी चाहिए।

1.31 राष्ट्रीय गीरो जैसी एक अखिल भारतीय बिल भुगतान प्रणाली बनाने और विकसित करने की आवश्यकता है ताकि परिवार एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के बिलों का भुगतान और निधियों का अंतरण करने के लिए बैंक खातों का प्रयोग कर सकें। 'कहीं भी कभी भी' भुगतान एक वास्तविकता बन जाना चाहिए। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में आधुनिक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध

कराने के लिए पूरे देश में बैंकेतर संस्थाओं द्वारा 'व्हाइट लेबल' विक्रय साधन और मिनि-एटीएम स्थापित करने को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

विदेशी बैंकों की संख्या बढ़ाना

1.32 भारत में विदेशी बैंकों की सहभागिता का उद्देश्य मुख्यतया प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, स्थानीय बैंकिंग प्रणाली की कुशलता में वृद्धि करना तथा उनकी परिष्कृत सेवाओं और उत्पादों को देशी बैंकों के अनुकूल बनाना है। इस समय विदेशी बैंक भारत में शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से, विदेशी बैंकों के अनुषंगीकरण का स्वागत किया जाना चाहिए। संवृद्धि की प्रक्रिया में अधिक सहभागिता के लिए भारत को विदेशी बैंकों की आवश्यकता है, लेकिन बदले में अपने स्थानीय परिचालनों पर कुछ और अधिक विनियामक और पर्यवेक्षी नियंत्रण होना महत्वपूर्ण है। पात्र विदेशी बैंकों को पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी के रूप में रूपांतरित होने, जहां उन्हें लगभग राष्ट्रीय व्यवहार मिलेगा, की नीति को प्रोत्साहित किया जाएगा।

वर्तमान बैंकिंग ढांचे का वस्तुपरक आकलन

1.33 भारत में वर्तमान बैंकिंग ढांचे के आकार और निष्पादन का वस्तुपरक आकलन आकार और बैंकों की संख्या के आधार पर वाणिज्यिक बैंकिंग में विस्तार की आवश्यकता को रेखांकित करता है और वर्तमान ढांचे में निर्णायक परिवर्तनों की आवश्यकता दिखलाता है ताकि उसके आकार,संसाधनों, कुशलता और समावेशन में संवृद्धि हो। वास्तविक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने देश में बैंकिंग ढांचे के पुनःउन्मुखीकरण के लिए चर्चा प्रारंभ की है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विस्तार होने के साथ, संवृद्धि प्रक्रिया में सहायता के लिए और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। 12 वीं पंचवर्षीय योजना की परिकल्पना के अनुसार, आर्थिक संवृद्धि की सहायता के लिए बैंकिंग कारोबार 2012[5] के लगभग ₹115 ट्रिलियन के स्तर से 2020 तक ₹288 ट्रिलियन हो जाने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में विस्तार के साथ जीडीपी की तुलना में ऋण अनुपात में संभावित वृद्धि के चलते भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में भी वृद्धि होनी चाहिए। इस का जोर जमाकर्ताओं के दृष्टिकोण से बैंकिंग ढांचे को सुरक्षित रखते हुए इसे और अधिक गतिशीलता प्रदान करने पर होना चाहिए।

लाइसेंस देने की नीतियों को उदार बनाने की आवश्यकता

1.34 विनियामकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विनियामक रुझान संस्थाओं के लिए प्रवेश संबंधी बाधाएं या उन्हें बंद करने संबंधी बाधाएं उत्पन्न न करें या अर्थव्यवस्था तथा उपभोगक्ताओं के लिए अनावश्यक लागत न हो। इसके बजाय, संस्थाओं पर विनियमन इस प्रकार से प्रतिबंध लगाए कि इससे नैतिक जोखिम उत्पन्न न हो। तदनुसार, रिज़र्व बैंक का चर्चा पत्र नए बैंकों को 'निरंतर प्राधिकार देने' के पक्ष में है और बैंकिंग प्रणाली को गतिशीलता प्रदान करने के लिए छोटे और व्यापक बैंकों के लिए विभेदीकृत लाइसेंस प्रारंभ करने की अधिक संभावना और बड़े शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्य बैंकों में परिवर्तित करने की संभावना का पता लगाता है। तथापि, यह संदेहास्पद मजबूती या सक्षमता वाले बैंकों के प्रवेश को रोकने के लिए कड़े प्रवेश मानदंड सुनिश्चित करने की आवश्यकता को कम नहीं करता क्योंकि उनके बड़े स्तर पर आ जाने से बैंकिंग प्रणाली की समग्र निष्ठा को आघात पहुंच सकता है।

1.35 संक्षेप में, उभरती विनियामक और पर्यवेक्षी संरचना का अनुपालन करने और अर्थव्यवस्था की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों के सामने कई प्रकार की चुनौतियां आएंगी। निकट भविष्य में, बैंकों को अपनी आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान देना होगा। मध्यावधि में प्रस्तावित नीतिगत परिवर्तनों से बैंकिंग प्रणाली की गतिशीलता को सुदृढ़ बनाने में और सहायता मिलेगी।

[5] बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया-द वे फार्वर्ड, डिस्कशन पेपर, भारतीय रिज़र्व बैंक, अगस्त 2013